

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-1275

दिनांक:- 30/9/2021

एस.वी. चैम्बर,
(प्रो.) श्रीमती नीता जगतानी,
104, आशियाना अपार्टमेन्ट,
तिलक नगर, जयपुर

विषय:- नीलामी के भूखण्ड संख्या एस-22, सेन्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2021 के संदर्भ में नीलामी के भूखण्ड संख्या एस-22, सेन्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा, जयपुर में स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 7800.00 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के 38.55 मी. + 0.45 मी. प्लिन्थ + स्टिल्ट 3.75 कुल 42.75 मी. (बेसमेन्ट + स्टिल्ट +13 तल) (ममटी 2.75 मी.) ऊँचाई के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये जिन्हें भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 244वीं बैठक दिनांक 13.08.2021 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह मार्च-2022 (राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 01.09.2021 के आधार पर) तक प्रभावी है।
2. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.3.2 (ix, x) (भवन के संरचनात्मक संबंधी उपायों एवं अन्य सुविधायें संबंधी नियम) (xi) (अग्निशमन मानदण्डों की सुनिश्चितता), 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), नियम 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/3/2020 पार्ट-I दिनांक 07.09.2021 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
3. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
4. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
5. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
6. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
7. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
8. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
9. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
10. संस्था प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. संस्था भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
12. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा।
13. प्रकरण भवन मानचित्रों के अनुमोदन का होने के कारण राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) रुल्स 2017 (यदि परियोजना रेरा में पंजीकृत हैं तो) से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
16. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
17. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (15 मानचित्र)

भवदीय,
30/03/21

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (15 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (15 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (03 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुर रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

24/4
10/10/2021
12.35
25/10/2021

SHEET NO. 02
BASEMENT FLOOR PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

BASEMENT FLOOR PLAN

DATE : 25/01/2021
SCALE:- 1:100
PROJECT:-
NORTH :
W
E
S

PROPOSED GROUP HOUSING
AT PLOT NO. S-22 SCHEME
CENTRAL SPINE
JAGATPURA, TEHSIL
JAIPUR, DIST. - JAIPUR

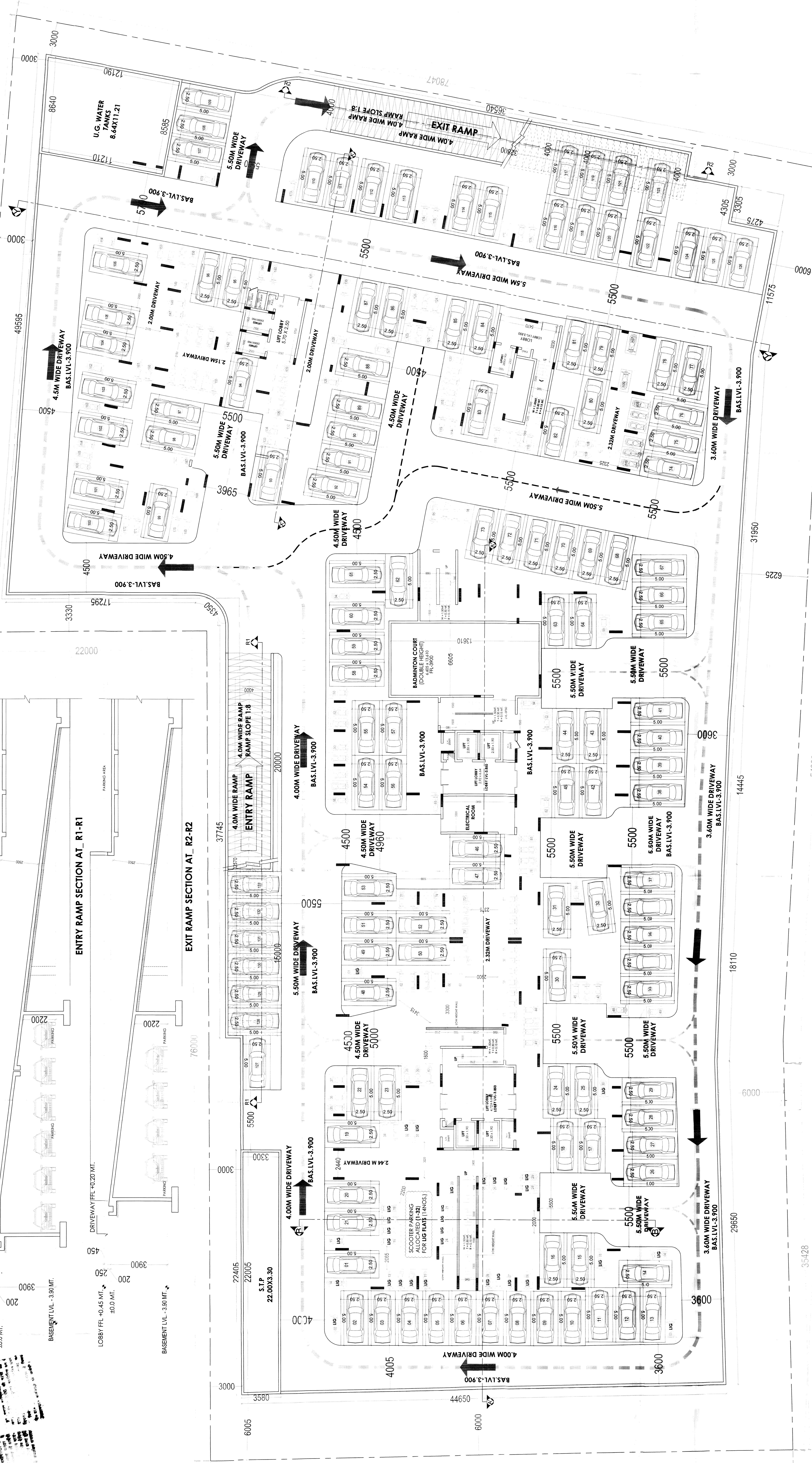
ARCHITECTS:-

STUDIO SAARTH
ARCHITECTURE / URBAN DESIGN
C - 424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECTS



TITLE:- SUBMISSION DRAWING

SCALE:- 1:100

PROPOSED GROUP HOUSING
AT PLOT NO. S-22 SCHEME
CENTRAL SPINE
JAGATPURA, TEHSIL
JAIPUR, DIST.- JAIPUR

STUDIO SAARTH

ARCHITECTURE / URBAN DESIGN
C - 424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECTS

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना में कोई भी परिवर्तन या संशोधन बिना मालिक की लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
यह योजना केवल एक संकेतक है और इसे वास्तविक निर्माण के लिए नहीं जाना जाना चाहिए।
सभी मापन मीटर में दिये गए हैं।
यदि कोई भी परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, तो यह योजना अमान्य हो जाएगी।
यह योजना केवल एक संकेतक है और इसे वास्तविक निर्माण के लिए नहीं जाना जाना चाहिए।
सभी मापन मीटर में दिये गए हैं।
यदि कोई भी परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, तो यह योजना अमान्य हो जाएगी।

SHEET NO. 05

SECOND FLOOR PLAN

13/06/2021
1275
30/09/2021
अनुमति प्राप्त है कि इस योजना में कोई भी परिवर्तन या संशोधन बिना मालिक की लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
यह योजना केवल एक संकेतक है और इसे वास्तविक निर्माण के लिए नहीं जाना जाना चाहिए।
सभी मापन मीटर में दिये गए हैं।
यदि कोई भी परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, तो यह योजना अमान्य हो जाएगी।

TITLE: SUBMISSION DRAWING

SECOND FLOOR PLAN

DATE: 25/01/2021

SCALE: 1:100

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT PLOT NO. S-22 SCHEME
CENTRAL SPINE
JAGATPURA, TEHSIL
JAIPUR DIST. - JAIPUR

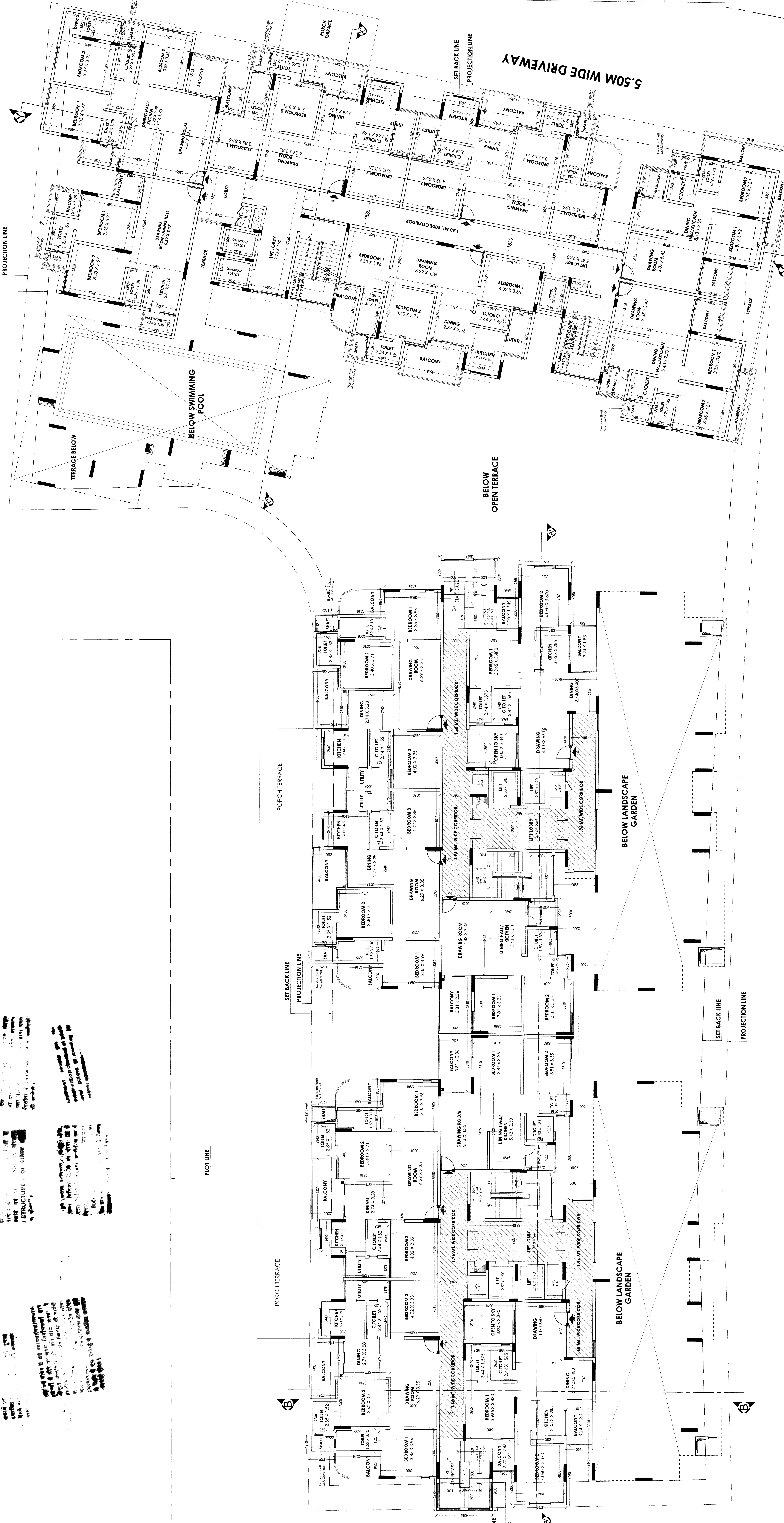
ARCHITECTS:-

STUDIO SAARTH
ARCHITECTURE / URBAN DESIGN
C- 424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019, RAJASTHAN

AR. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECTS



SHEET NO. 08

13th FLOOR PLAN

15/09/2021 2444

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

TITLE:- SUBMISSION DRAWING

13th FLOOR PLAN

NORTH : N

DATE: 25/01/2021

SCALE:- 1:100

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING

AT PLOT NO. S-22 SCHEME

CENTRAL SPINE

JAGATPURA, TEHSIL

JAIPUR, DIST. - JAIPUR

ARCHITECTS:-

STUDIO SAARTH

ARCHITECTURE / URBAN DESIGN

C - 424 KING'S ROAD, NIRMAN NAGAR

JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

OWNER

AR. PUNEET DUA

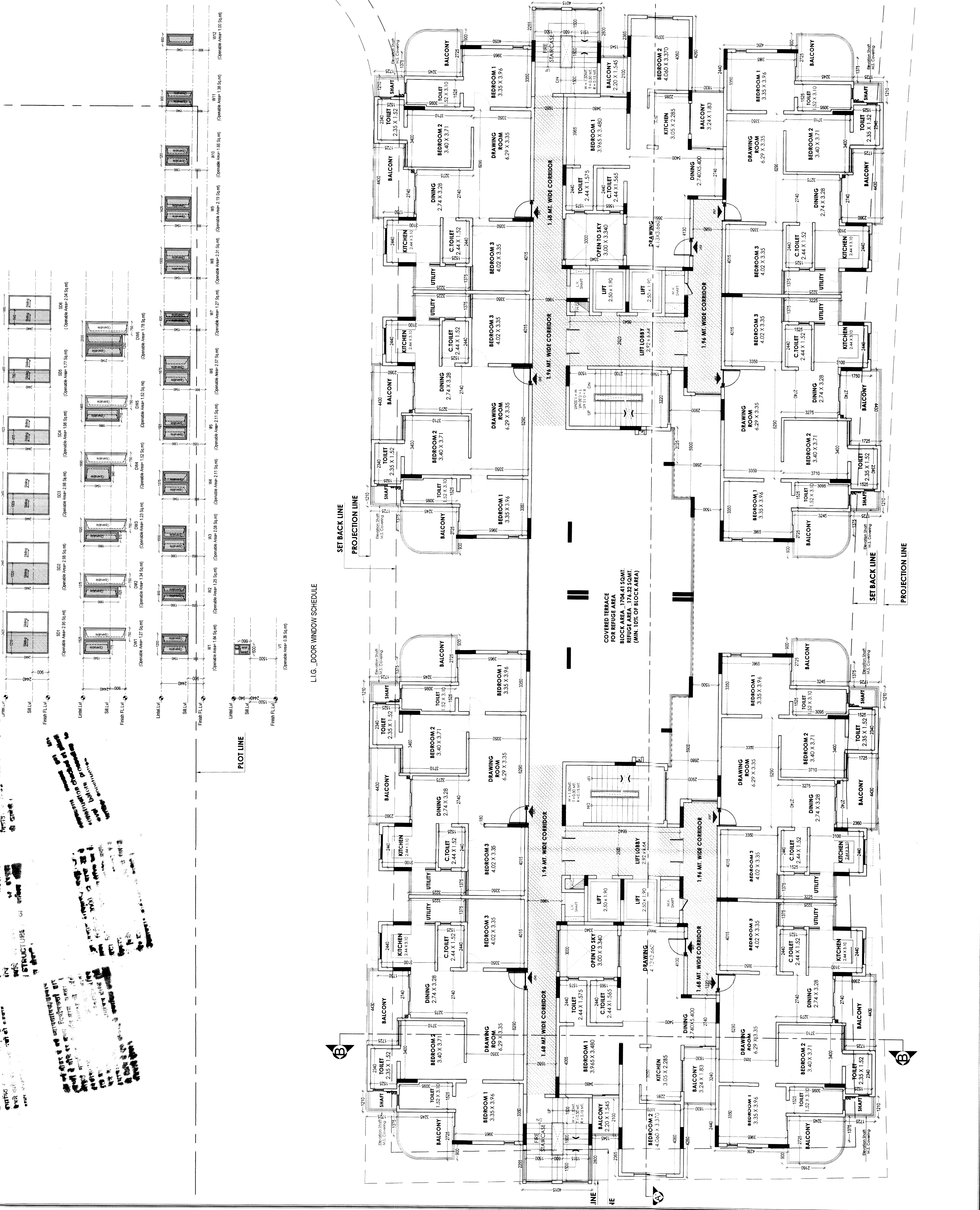
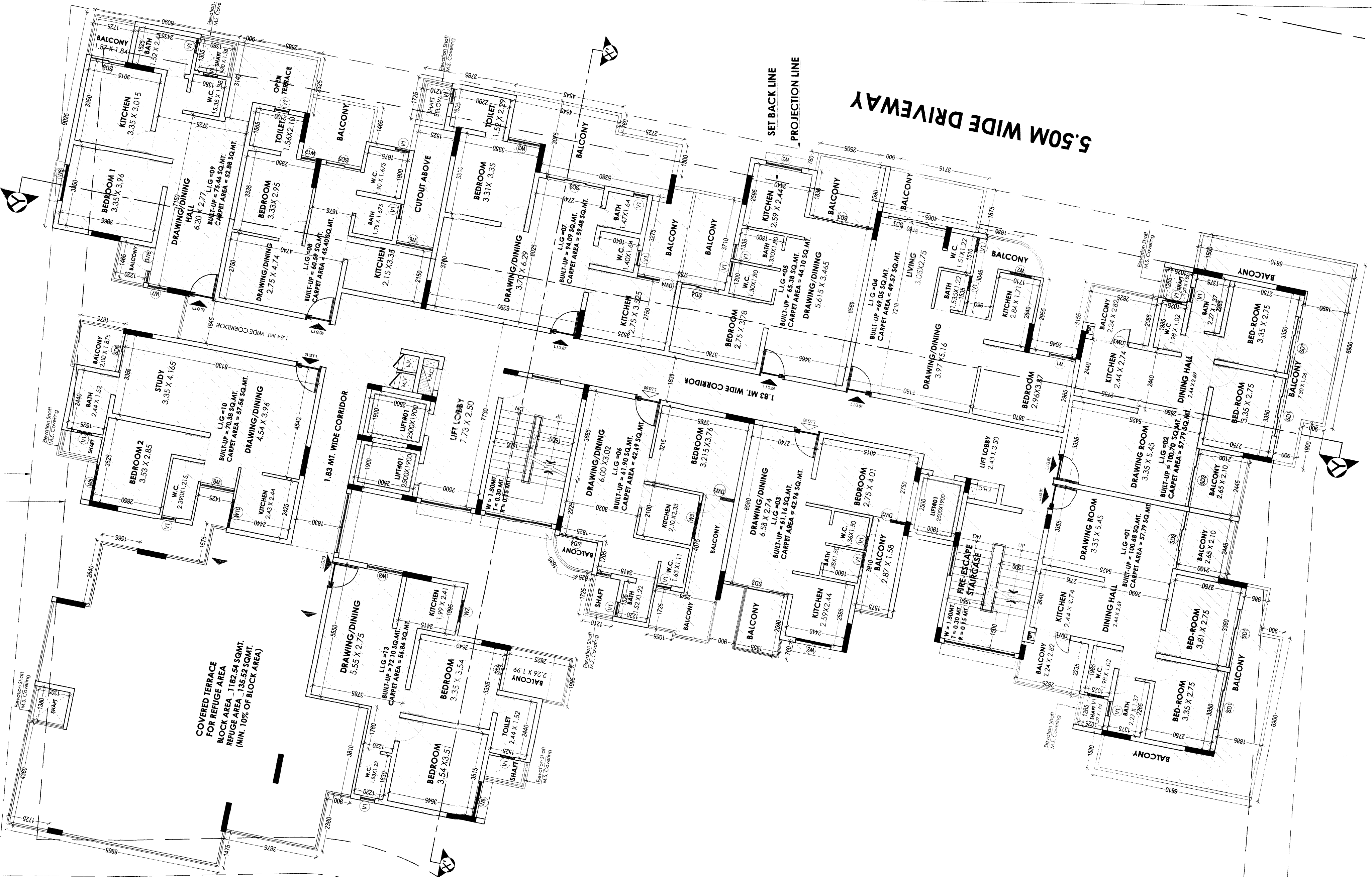
CA/2005/35530

ARCHITECTS

OWNER

ARCHITECTS

ARCHITECTS



समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह

समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह

समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह

समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह
समस्त अधिकार प्राप्त हैं।
इसका प्रमाण है कि यह



BLOCK A,B (SECTION - B'-B)

SHEET NO. 11a

BLOCK A,B (SECTIONS) 13/01/2021

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर नगर निगम, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजन
जयपुर नगर निगम, जयपुर

DRAWING TITLE	
BLOCK A,B (SECTIONS)	
PROJECT TITLE:- PROPOSED GROUP HOUSHING AT PLOT NO. S-22 SCHEME CENTRAL SPINE JAGATPURA,TEHSIL-JAIPUR,DIST.- JAIPUR	
STUDIO SAARTH ARCHITECTURE / URBAN DESIGNER	
A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN	
SCALE 1:150	NORTH POINT
OWNER	
ARCHITECT	

[illegible]

BLOCK A,B (ELEVATION -A)



BLOCK A,B (ELEVATION -B)

DRAWING TITLE

BLOCK A,B (ELEVATIONS)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING
AT PLOT NO. S-22 SCHEME CENTRAL SPINE
JAGATPURA, TEHSIL-JAIPUR, DIST. - JAIPUR

STUDIO SAARTH
ARCHITECTURE / URBAN DESIGNER

A:C-424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:150

NORTH POINT

N

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

Neela Jaydevi

MANER	ARCHITECT
-------	-----------

